

आदेश

अनुकंपा के आधार पर बाल सिपाही से सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु विभिन्न जिला/ इकाई/वाहिनी से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने हेतु दिनांक-10.04.2018 को विभागीय मार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मार्जन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कतिपय आवेदकों के प्रस्ताव को लंबित रखा गया तथा कतिपय आवेदकों के प्रस्ताव को उनके नाम के सामने अंकित कारणों से अस्वीकृत किया गया, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सेवामुक्त बाल सिपाही का नाम/ मृतक से संबंध/ कोटि	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/ अंतिम पदस्थापन /मृत्यु की तिथि/कारण	शैक्षणिक योग्यता/ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने की तिथि/ जन्म तिथि	मार्जन की आवश्यकता	आवंटित जिला/ इकाई/ वाहिनी	समिति की अनुशंसा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभिषेक कुमार/ पुत्र/ अनारक्षित	स्व० मनैजर सिंह /सि०-467/ वैशाली जिला बल /16.05.09/-	इण्टरमीडिएट /26.05.15 /10.09.97	ऊचाई में 2 से०मी०	---	लंबित	सीना का माप प्रतिवेदन पुनः भेजा जाय।
2	अगिमन्यु कुमार/ पुत्र / अनारक्षित	स्व० कमलेश प्रसाद सिंह/सि०-110/ रेल जमालपुर/ 09.07.10/ बीमारी	इण्टरमीडिएट /31.08.17 /20.10.96	सीना में 7-7 से०मी०	---	लंबित	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र की मूल प्रति अप्राप्त है।
3	श्रवण कुमार सिंह /पुत्र/ अनारक्षित	स्व० प्रसिद्ध नारायण सिंह/ सि०-34/ पूर्णियाँ जिला बल/ 28.02.02/ हृदयाघात	इण्टरमीडिएट 12.08.17 / 03.02.90	---	---	अस्वीकृत	1. आवेदक बाल सिपाही के पद से विमुक्ति की तिथि- 03.02.08 को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित तात्कालीन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं था। 2. आवेदक वर्ष 2017 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हुए है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

11.5.18
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 352/368880 / पी०३

43-38-13-2013

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 11.05.2018

प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, वैशाली/पूर्णियाँ तथा रेल जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

— जिन आवेदकों के प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी है अथवा आवश्यक कागजात संलग्न नहीं है, से संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि संबंधित आवेदकों से वांछित कागजात प्राप्त कर त्रुटि का निराकरण करते हुए वांछित कागजात 01 सप्ताह के अन्दर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

5. आई०टी०मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

11.5.18
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

C.No-140230/18
11.05.18